रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022021-225076
CG-DL-E-10022021-225076

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 2021/माघ 21, 1942
No. 584] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2021/MAGHA 21, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांकः 10 फरवरी, 2021

सं. 57/2015—2020

विषयः खाद्य आयात प्रवश बिन्दुओं हेतु अधिसूचना।

का.आ. 638(अ).——समय—समय पर यथा—संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं के रूप में 150 प्रवेश के पत्तन (पीओई) की सूची प्रदान करने के लिए आईटीसी (एचएस) 2017 में आयात नीति के संबंध में सामान्य टिप्पणी के पैरा 4 (खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006) के तहत नए उप—पैरा (घ) को निम्नानुसार शामिल करती हैः

(घ) खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुः भारत में सुरक्षित खाद्य आयातों के अधिदेश को सुनिश्चित करने हेतु एफएसएसएआई ने अनुसूची—I (आयात नीति) के परिशिष्ट—V में सूची क के अनुसार दिनांक 9 अक्तूबर, 2019 की एफएसएसएआई की अधिसूचना (फा.सं. 1—1715/एफएसएसएआई/आयात/2017) के द्वारा 150 खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं [जिसमें 27 समुद्री पत्तन, 15 हवाई अड्डे, 31 भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीएस) और 77 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो शामिल है] पर खाद्य आयात निकासी को संचालित करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को अधिसूचित किया है।

खाद्य आयात प्रवेश बिन्दु संबंधी प्रतिबंध आईटीसी (एचएस) 2017 के अनुसूची–I के परिशिष्ट V की सूची ख में यथा–वर्णित 1515 एचएस कोडों के तहत मदों हेतु लागू होंगे।

2. **अधिसूचना का प्रभाव:** आईटीसी (एचएस) 2017 के 1515 एचएस कोडों के तहत सूचीबद्ध मदों हेतु 150 खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं पर खाद्य आयात निकासी को संचालित करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों की सूची बनाते हुए, आईटीसी (एचएस) 2017 में आयात नीति अनुसूची I के संबंध में सामान्य टिप्पणी में नए उप–पैरा को जोड़ा जाता है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/89/180/27/एएम–12/पीसी–2 (क)/ई–5955]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2021

No. 57 /2015-2020

Subject:—Notification for Food Import Entry Points.

S.O. 638(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government inserts a new sub para (D) under para 4 (Food Safety & Standards Act, 2006) of the General Notes Regarding Import Policy in ITC (HS) 2017, to provide for the list of 150 Port of Entries (PoEs) as food import entry points as under:

(D) Food Import Entry Points: To ensure the mandate of safe food imports in India, FSSAI has notified Authorised Officers to handle food import clearance at 150 food import entry points [covering 27 sea ports, 15 airports, 31 land customs stations (LCSs) and 77 inland container depots (ICDs)] vide FSSAI's Notification dated 9th October, 2019 (F.No.1-1715/FSSAI/Imports/2017) as per List A in Appendix-V to Schedule-I (Import Policy). The food import entry points restrictions shall be applicable for items against 1515 HS Codes as detailed in List B of Appendix: V to the Schedule-I of ITC(HS) 2017.

<u>Effect of the Notification</u>: New sub-para is added in General Notes Regarding Import Policy Schedule I in ITC(HS) 2017, listing out Authorised Officers to handle food import clearances at 150 food import entry points for items listed against 1515 HS codes of ITC(HS) 2017.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No. 01/89/180/27/AM-12/PC-2(A)/E-5955]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.10 22:26:25 +05'30'